राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: साशा/कोरोना/2020/ 30900 दिनांक :– 07 अप्रेल, 2020

## :: आदेश ::

भीलवाडा शहर मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले एवं शहर में सख्त निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा के दौरान उत्पन्न परिस्थितयों के क्रम में सम्पर्क पोर्टल पर COVID-19 के अन्तर्गत दर्ज समस्त परिवादों के निस्तारण बाबत अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि इस सबधं में सर्व संबंधित से समन्वय स्थापित कर उक्त परिवादों के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करावें एवं प्रगति/पालना से प्रतिदिन सांय 5.00 बजे व्यक्तिशः उपस्थित हो अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
04. प्रभारी अधिकारी, लोक सेवा प्रकोष्ठ, का0हा0
05. प्रभारी अधिकारी, वॉर रूम (अति0 जिला मजिस्ट्रेट–शहर, भीलवाड़ा)
06. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
07. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को पालनार्थ
08. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जिला–भीलवाड़ा
09. प्रभारी अधिकारी, नियंत्रण कक्ष, का0हा0
10. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
11. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
12. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा
13. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

Scanned by CamScanner